

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या-144  
01 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

उजाला योजना और ऊर्जा की बचत पर इसका प्रभाव

\*144. श्री बैजयंत पांडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत बिजली बचाने के लिए अब तक वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऊर्जा की बचत और उपभोक्ता बिजली बिलों पर उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

विद्युत मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

"उजाला योजना और ऊर्जा की बचत पर इसका प्रभाव" के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.08.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : उजाला (उन्नत ज्योति बाए अफॉर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल) उपभोक्ताओं को वहनीय, ऊर्जा-दक्ष एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसयूज का संयुक्त उद्यम, को इस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, कोई भी उपभोक्ता डिस्कॉमों के माध्यम से या ईईएसएल द्वारा नामित वितरण एजेंसियों(डीए) के माध्यम से एलईडी बल्ब खरीद सकता है।

अब तक, ईईएसएल ने इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 36.9 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। इन बल्बों के वितरण का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : उजाला योजना प्रतिवर्ष 48.4 बिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत करने में और एनर्जी-एफिशिएंट लाइटिंग सोल्यूशनस के द्वारा उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 19,337 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत करने में सहायक रही है।

## जून, 2024 तक वितरित एलईडी बल्बों की संख्या का विवरण

क्रम सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	वितरित एलईडी बल्बों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	400,000
2	आंध्र प्रदेश	22,040,227
3	अरुणाचल प्रदेश	499,498
4	असम	7,185,430
5	बिहार	19,608,609
6	चंडीगढ़	554,283
7	छत्तीसगढ़	10,822,335
8	दादरा एवं नगर हवेली	163,808
9	दमन और दीव	142,623
10	दिल्ली	13,431,273
11	गोवा	1,005,890
12	गुजरात	41,448,713
13	हरियाणा	15,608,119
14	हिमाचल प्रदेश	8,648,483
15	जम्मू और कश्मीर	8,486,579
16	झारखंड	13,645,874
17	कर्नाटक	24,264,486
18	केरल	15,429,919
19	लद्दाख	230,630
20	लक्षद्वीप	200,000
21	मध्य प्रदेश	17,574,110
22	महाराष्ट्र	21,986,569
23	मणिपुर	299,934
24	मेघालय	433,789
25	मिजोरम	615,332
26	नागालैंड	1,099,038
27	ओडिशा	52,270,570
28	पुदुचेरी	609,251
29	पंजाब	3,016,739
30	राजस्थान	17,321,034
31	सिक्किम	164,000
32	तमिलनाडु	4,363,183
33	तेलंगाना	2,875,082
34	त्रिपुरा	1,054,437
35	उत्तर प्रदेश	26,295,737
36	उत्तराखंड	5,673,850
37	पश्चिम बंगाल	9,229,228
<b>कुल</b>		<b>368,698,662</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या-153  
01 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

\*153. डॉ. मोहम्मद जावेद .

श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(कवार ब्यौरा क्या है-से वर्ष 2015 देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्ष ;

(खसे क्या कदम उठाए गए हैं 2014 सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए वर्ष ;

(गविगत पांच वर्षों के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घक्या विगत कुछ वर्षों के दौरान कोयले के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट ( लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(इसरकार द्वारा राज्यों (, विशेषतः बिहार में उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने और इस प्रयोजन हेतु अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(कड) से ( ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में लोक सभा में दिनांक 01.08. को उत्तरार्थ 2024तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में उल्लिखित विवरण (ड) से (क) के भाग 153

(क) : देश में वर्ष 2014-2024 से 15- 25(जून, तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का (तक 2024 वर्षवार ब्यौराअनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : भारत सरकार ने देश में वर्ष से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए 2014 हैं:-

- (i) संस्थापित क्षमता मार्च 2 में 2014,48,4 में 2024 मेगावाट से बढ़कर जून 554,46, 190 मेगावाट।
- (ii) 1,95,पारेषण लाइनों में वृद्धि (सीकेएम) सर्किट किलोमीटर 181, 7,30, 794एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,क्षेत्रीय क्षमता-मेगावाट अंतर 790, जिससे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 1,18, मेगावाट अंतरित करने की क्षमता प्राप्त होगी। 740
- (iii) सौर, पवन, पम्पड भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पन्न विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभारों में छूट।
- (iv) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रजेक्टरी।
- (v) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करना हैं।
- (vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (vii) एटीएंडसी हानियों में वर्ष 2013-22 के 14.62% से वर्ष 2022-15 में 23.40% तक की कमी। जेनको के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनको की पुरानी बकाया राशि 1,39,35 करोड़ रुपये से घटकर 947,करोड़ रुपये हो गई है। 119
- (viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम स्कीमों के अंतर्गत (सौभाग्य) -और प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (आईपीडीएस), 18,गांवों का विद्युतीक 374रण किया गया और 2.करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन 86 प्रदान किए गए।

- (ix) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति की शुरुआत, इससे ताप विद्युत संयंत्रों को दक्ष घरेलू कोयला आवंटन संभव हुआ और विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी सुनिश्चित हुआ।
- (x) उत्पादन क्षमता से अधिक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

: (ग) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024- 25(जून तकके दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन ( क्षमता में कोयले के योगदान का ब्यौरा**अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(घ) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की लागत कोयले की कीमत और माल-भाड़ा की लागत पर निर्भर करती है और मिश्रण के मामले में मिश्रित आयातित कोयले की कीमत पर भी निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री माल-भाड़ा, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलती रहती है। इसके अलावा, प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले का उपभोग करती है।

वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच औसत विद्युत क्रय लागत में केवल 71 पैसे की वृद्धि हुई है। इसका कारण विभिन्न लागतों में वृद्धि है - जिसमें पारेषण लागत में वृद्धि भी शामिल है।

: (ङ) भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन लागत को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं :

- (i) निष्पक्ष, तटस्थ, दक्ष और सुदृढ़ विद्युत उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना।
- (ii) राज्यद्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में छूट की शुरुआत (जेनको) केंद्रीय उत्पादन कंपनियों/
- (iii) परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से राज्यजेनको) केंद्रीय उत्पादन कंपनियों/ो ( के लिंकेज स्रोतों के युक्तिकरण की अनुमति (आईपीपी) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों दी गई है।
- (iv) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी क्रय को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, के तहत विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित बोली 63 की धारा 2003 प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

- (v) आरडीएसएस के तहत कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में कमी से विद्युत (एटीएंडसी) कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे प्रणाली को बेहतर बनाए रखने और आवश्यकतानुसार विद्युत क्रय में सक्षम होंगे; जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- (vi) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का संचालन।

इसके अलावा, सरकार ने बिहार सहित देश में विद्युत अवसंरचना को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. **सौभाग्य स्कीम के अन्तर्गत**, बिहार के 32,59,2 गांवों सहित देश भर में कुल 041.करोड़ 86 घरों का विद्युतीकरण किया गया है।
2. **डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अन्तर्गत**, बिहार के 2,18 सहित कुल 906,गांवों का 374 विद्युतीकरण किया गया।
3. आरडीएसएस के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण अवसंरचना कार्यों और 19.करोड़ स्मार्ट 80 उपभोक्ता मीटर, 52.1 लाख स्मार्ट डीटी मीटर और 18. लाख स्मार्ट फीडर मीटर के लिए 88 2.9 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में 62,करोड़ 222 4 सरकारी बजटीय सहायता) रुपये,क 733रोड़ रुपये के साथके वितरण अवसंरचना और ( स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है।
4. वर्ष 2031-80 तक न्यूनतम 32,मेगावाट तापीय क्षमता जोड़ने के लक्ष्य के निमित्त 000, 28,मेगावाट तापीय क्षमता निर्माणाधीन है 400, जिसमें बक्सर टीपीपी और (एसजेवीएन) बिहार मेंबाढ़-1 एसटीपीपी यूनिट)# 3) शामिल हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः मेगावाट 1320 )2xमेगावाट है। इसके अलावा 660 और (मेगावाट 660, 18,087.मेगावाट जलविद्युत 5 7 क्षमता और,2031 मेगावाट परमाणु क्षमता भी वर्ष 000-तक शुरू होने की संभावना 32 है।
5. पारेषण अवसंरचना उन्नयन में 21,1 सीकेएम पारेषण लाइन और 766,77,एमवीए 755 परिवर्तन क्षमता जोड़ने की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें वर्ष 2026-तक पूरा करने का 27 1 स्टेशन में-स्टेशन और लखीसराय सब-लक्ष्य है। इसमें बिहार में बांका सब,एमवीए 000 परिवर्तन क्षमता शामिल है, जिनके मई,तक पूरा 2025 होने की संभावना है।
6. विद्युत प्रणाली विकास निधि पीएसडीएफ)) के तहत राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए कुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में 188, पीएसडीएफ के तहत ग्रिड सबस्टेशन परियोजना का नवीनीकरण और उन्नयन तथा कैपेसिटर- बैंक की स्थापना की परियोजना पूरी हो चुकी है। बिहार में सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम परियोजना - का कार्यान्वयन चल रहा है।

लो .सं.प्र.तारां.स.153

अनुबंध-1

वर्ष 2014-2024 से 15-जून) वार ब्यौरा-का वर्ष (यूटिलिटियों) तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 25, (तक 2024

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
2014-15	2,75,895
2015-16	3,06,330
2016-17	3,28,146
2018-19	3,45,631
2018-19	3,57,871
2019-20	3,71,334
2020-21	3,83,521
2021-22	3,99,497
2022-23	4,16,059
2023-24	4,41,970
2024-25 (जून 24 तक)	4,46,190



पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024- 25(जून के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता (तक 2024 में कोयले के योगदान का ब्यौरा।

वर्ष	कुल संस्थापित क्षमता	कोयला आधारित क्षमता	कुल संस्थापित क्षमता में कोयला आधारित क्षमता का हिस्सा
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
31-3-2020	3,70,106	1,98,525	53.6
31-3-2021	3,82,151	2,02,675	53.0
31-3-2022	3,99,497	2,04,080	51.1
31-3-2023	4,16,059	2,05,235	49.3
31-3-2024	4,41,970	2,10,969	47.7
30-6-2024	4,46,190	2,10,969	47.3

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1635  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

देश में जलविद्युत क्षमता

1635. :श्री दुष्यंत सिंह  
श्री राजकुमार चाहर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) और राजस्थान ऊर्जा (आरएचपीसीएल) रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( विकास, आईटी सर्विसेज लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाइड्रो पंप (भंडारण क्षमता सहित जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गवार ब्यौरा क्या है-देश में जलविद्युत क्षमता का राज्य (; और

(घ) देश में उन जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर (डीपीआर) द्वारा सहमति (सीईए) पिछले दस वर्षों के दौरान निर्माण कार्य शुरू करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण वार कितनी डीपीआर तैयार की जा रही हैं-व्यक्त की गई है और राज्य?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) :रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास (आरएचपीसीएल), आईटी सर्विसेज लिमिटेड के बीच दिनांक 03.01. को 2024 विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं (पीपीए) जिसके अंतर्गत रतले जलविद्युत परियोजना से वर्ष की अवधि के लिए 40 विद्युत क्रय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर (सीईआरसी) किया जाएगा।

(ख) : भारत सरकार ने हाइड्रो पंप स्टोरेज क्षमता सहित जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं )25 मेगावाट से अधिक क्षमताको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में ( घोषित करना।

- (ii) गैर सौर नवीकरणीय-क्रय दायित्व के भीतर एक अलग इकाई के रूप में हाइड्रो (आरपीओ)क्रय दायित्व I(एचपीओ)
- (iii) जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- (iv) बाढ़ नियंत्रणभंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता।/
- (v) अवसंरचना, अर्थात् सड़कों पुलों/के निर्माण की लागत के लिए बजटीय सहायता।
- (vi) दिनांक अप्रैल 10, 2023को देश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को (पीएसपी)गति देने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
- (vii) जलविद्युत परियोजनाओं और पीएसपी के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क (आईएसटीएस) में छूट।
- (viii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट द्वारा (सीईए) की सहमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (डीपीआर) समयसीमाघटाना।

**ग( :** वर्ष 2017- की अवधि के दौरान सीईए द्वारा किए गए 2023पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में दोहन योग्य बड़ी जलविद्युत क्षमता 1,33,मेगावाट है। इसके अलावा 410, चिह्नित पंप स्टोरेज क्षमता 1,76, 280 वार विवरण-संघ राज्य क्षेत्र/मेगावाट है। राज्य**अनुबंध-I** पर संलग्न है।

**घ( :** सीईए ने पिछले दस वर्षों के दौरान 15, मेगावाट की कुल 569संस्थापित क्षमता वाली पीएसपी सहित 24 जलविद्युत योजनाओं पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, 11, 17 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 376 55 जलविद्युत परियोजनाएं और,पीएसपी डीपीआर तैयार 38 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 330 करने हेतु सर्वेक्षण एवं जांच (एस एंड आई)के तहत हैं। राज्य-संघ राज्य क्षेत्र/वार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

**पंप स्टोरेज क्षमता सहित जलविद्युत क्षमता का राज्यवार विवरण-संघ राज्य क्षेत्र/  
)संस्थापित क्षमता -25 मेगावाट से अधिक(**

दिनांक 30.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार

क्षेत्रसंघ राज्य क्षेत्र/राज्य/	पारंपरिक दोहन योग्य क्षमता (मेगावाट)	पंप स्टोरेज दोहन योग्य क्षमता+(मेगावाट)
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>		
जम्मू और कश्मीर	12264	
लदाख	707	
हिमाचल प्रदेश	18305	7260
पंजाब	1301	
हरियाणा		
राजस्थान	411	9200
उत्तराखंड	13481	1000
उत्तर प्रदेश	502	13440
<b>उप योग (उत्तरी क्षेत्र)</b>	<b>46971</b>	<b>30900</b>
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>		
मध्य प्रदेश	2819	8560
छत्तीसगढ़	1311	8925
गुजरात	550	6140
महाराष्ट्र	3144	42955
गोवा		
<b>उप योग )पश्चिमी क्षेत्र(</b>	<b>7824</b>	<b>66580</b>
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>		
आंध्र प्रदेश	2596	26420
तेलंगाना	1302	8755
कर्नाटक	4414	7600
केरल	2473	1200
तमिलनाडु	1785	16500
<b>उप योग )दक्षिणी क्षेत्र(</b>	<b>12570</b>	<b>60475</b>
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>		
झारखंड	300	1500
बिहार	130	
ओडिशा	2825	4795
पश्चिम बंगाल	809	5500
सिक्किम	6051	
<b>उप योग )पूर्वी क्षेत्र(</b>	<b>10115</b>	<b>11795</b>
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>		
मेघालय	2026	
त्रिपुरा		
मणिपुर	615	
असम	643	320
नागालैंड	325	
अरुणाचल प्रदेश	50394	660
मिजोरम	1927	5550
<b>उप योग )पूर्वोत्तर क्षेत्र(</b>	<b>55930</b>	<b>6530</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>133410</b>	<b>176280</b>

\* परियोजना के जुड़ने हटने तथा परियोजनाओं की/संस्थापित क्षमता में परिवर्तन के कारण दोहन योग्य क्षमता में परिवर्तन हो सकता है।

पिछले दस वर्षों के दौरान सीईए से सहमति प्राप्त पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित जलविद्युत (पीएसपी) स्कीम की राज्यसंघ राज्य/ क्षेत्र वार संख्या तथा डीपीआर-की तैयारी हेतु सर्वेक्षण एवं जांच के (एसएंडआई) तहत परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले दस वर्षों के दौरान सीईए से सहमति प्राप्त पीएसपी सहित जलविद्युत स्कीम की संख्या	डीपीआर की तैयारी हेतु एस एंड आई के तहत परियोजनाओं की संख्या	डीपीआर की तैयारी हेतु एस एंड आई के तहत पीएसपी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2	-	16
2	अरुणाचल प्रदेश	5	8	-
3	असम	1	-	-
4	हिमाचल प्रदेश	5	4	-
5	जम्मू और कश्मीर	6	1	-
6	मणिपुर	1	-	-
7	मेघालय	2	1	-
8	पश्चिम बंगाल	1	1	-
9	ओडिशा	1	-	-
10	उत्तराखंड	-	1	-
11	केरल	-	1	-
12	राजस्थान	-	-	3
13	उत्तर प्रदेश	-	-	4
14	मध्य प्रदेश	-	-	2
15	महाराष्ट्र	-	-	10
16	कर्नाटक	-	-	3
	<b>कुल</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1643

अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण

1643. श्री प्रदीप कुमार सिंह :

:श्री राजेश वर्मा

:श्री हनुमान बेनीवाल

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(कक्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है ( और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(खपूरे देश में विद्युतीकरण के अनु (पात का राज्यवार ब्यौरा क्या है-;

(गक्या सरकार राज्यों में मांग की तुलना में बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता के संबंध में कोई अध्ययन ( करती है तथा यदि हां, तो इस संबंध में मांग के अनुमान उपलब्ध होने के बावजूद राजस्थान राज्य में चालू वर्ष विशेषकर मार्च, 2024 से अब तक ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में बिजली कंपनियों की विफलता के क्या कारण हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(घक्या सरकार ने देश के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल ( कर लिया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(डदेश के सभी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे और सातों दिन बिजली आपूर्ति करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास ( योजना 12 (आईपीडीएसकदम उठाए गए हैं तथा /को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई ( इस संबंध में लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या समयसीमा तय की गई है-; और

यदि नहीं (च), तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक(

(क(ख) और ( : भारत सरकार ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपपारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ - और एकीकृत विद्युत विकास योजना (डीडीयूजीजेवाई) करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लागू किया। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार (आईपीडीएस), देश के सभी बसावट वाले गैर- विद्युतीकृत गणना वाले गांवों का 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई स्कीम के दौरान देश के कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 पर संलग्न है।

तदुपरान्त, भारत सरकार ने अक्टूबर ,2017 में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैरविद्युतीकृत परिवारों और देश के शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन - सौ) प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजनाभाग्यकी शुरुआत की। सौभाग्य के तहत (, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पहले चिह्नित किए गए सभी इच्छुक गैर विद्युतीकृत परिवारों के-100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से देश में कुल 2.86 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया गया है।

डीडीयूजीजेवाई सौभाग्य एवं आईपीडीएस के तहत किए गए अवसंरचना संबंधी कार्यों का विवरण क्रमशः/ अनुबंध-II और अनुबंध-III पर दिया गया है। विद्युतीकृत परिवारों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध-IV पर दिया गया है।

नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार सौभाग्य स्कीम के दौरान छूटे हुए गैरकी चल (आरडीएसएस) विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम-रही योजना के तहत सहायता कर रही है। इसके अलावा, पीएमप्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय ) जनमन-के तहत चि (महाअभियानहिनत किए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों -के गैर (पीवीटीजी) विद्युतीकृत घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत विद्युतीकृत किया जा रहा है। के तहत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य (अतिरिक्त घर+पीवीटीजी) आरडीएसएस-वार ब्यौरा अनुबंध-V पर दिया गया है।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित वार्षिक लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर), आवश्यकता और उपलब्धता के संदर्भ में अनुमानित माहवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति को रेखांकित करती है, साथ ही अधिशेष विद्युत वाले राज्यों संघ राज्य/क्षेत्रों की पहचान करती है, जिसे घाटे का सामना कर रहे राज्योंसंघ / अनुबंधित किया जा सकता है।/राज्य क्षेत्रों द्वारा खरीदा

मार्च ,2024 से जून ,2024 तक राजस्थान में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

माह	ऊर्जा				उच्चतम			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		उच्चतम मांग	उच्चतम मांग पूरी की गई	मांग पूरी नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	एमयू	%	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
मार्च, 2024	8,929	8,929	0	0	17,030	17,030	0	0
अप्रैल, 2024	8,136	8,131	5	0.1	14,283	14,283	0	0
मई, 2024	10,340	10,267	73	0.7	17,567	17,567	0	0
जून, 2024*	10,470	10,347	123	1.2	17,774	17,774	0	0

\* जून के आंकड़े अनंतिम हैं

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि मार्च ,2024 से जून ,2024 के बीच ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर 0.1% से 1.2% के बीच है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच यह अंतर भी प्रायः वितरण नेटवर्क आदि में बाधाओं के कारण है।/राज्य पारेषण

(घ), (ङ(च) और ( : देश में पर्याप्त रूप से विद्युत उपलब्ध है। हमने पिछले दस वर्षों में 2,14,मेगावाट 237 उत्पादन क्षमता जोड़करविद्युत की कमी जैसी गंभीर समस्या का समाधान किया है और अपने देश को विद्युत की कमी से विद्युत की पर्याप्तता की ओर अग्रसर किया है। हमने उत्पादन क्षमता को मार्च ,2014 में 2,48, 554 79 मेगावाट से.5% बढ़ाकर जून ,2024 में 4,46,मेगावाट कर दिया है। 190

हमने अप्रैल 1 से अब तक 2014-15, सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें जोड़ी हैं 181, जो पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड से जोड़ती हैं। इससे हम देश के एक कोने से दूसरे कोने में 1,18,740 /आईपीडीएस/मेगावाट विद्युत अंतरण करने में सक्षम हुए हैं। हमने डीडीयूजीजेवाईसौभाग्य के तहत 1.लाख 85 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लागू करके वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। उपर्युक्त वितरण क्षेत्र की स्टेशन स्थापित किए गए हैं-नए सब 2927 योजनाओं के तहत, स्टेशनों का उन्नयन किया -मौजूदा सब 3965 गया है, 6,92, वितरण ट्रांसफार्मर लगाए 200गए हैं, 1,13,का फीडर (सीकेएम) सर्किट किलोमीटर 938 8 सेपरेशन किया गया है और राज्यों में /एचटी और एलटी लाइनों को जोड़ा (सीकेएम) लाख सर्किट किलोमीटर 5 उन्नयन किया गया है। इसके अलावा, आरडीएसएस वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग की चल रही स्कीम के तहत 2. लाख 62करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 12 में 2015.घंटे 5 21 में 2024 से बढ़कर वर्ष.घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व 9<sup>घंटे</sup> 23 में बढ़कर 2024.घंटे हो 4 2013 गई है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर वर्ष-4 में 14.2% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25(जून, 0 में (तक 2024.1% हो गया है।

इसके अलावा, विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः किसी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ता/ओं को की जाने वाली विद्युत की आपूर्ति तथा विद्युत का वितरणविद्युत यूटिलिटी के अधिकार /संबंधित राज्य सरकार , संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं /क्षेत्र में है। देश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। किसी भी राज्य की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उचित मात्रा में विद्युत की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार (सीपीएसयू) विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र सरकार केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके और उससे राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। पिछले दस वर्षों / ,और चालू वर्ष के जून2024 तक ऊर्जा के संदर्भ में देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-VI** पर दिया गया है।



## डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या-

क्रम सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	<b>कुल</b>	<b>18,374</b>

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत कार्यान्वित कार्यो का विवरण 2014 वर्ष)-(से 15

परियोजना की कुल समापन लागत :1,26,544 करोड़ रुपये।

क (1933 नए33 /स्टेशनों की स्थापना।-केवी सब 11

ख (33/11 केवी के स्टेशनों का विस्तार।-सब 2356

ग (8.017 लाख सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें बिछाना।

घ (6,32,207 वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना। (डीटीआर)

ड (1,90,41,387 उपभोक्ता मीटरफीडर मीटर की स्थापना।/डीटी मीटर/

च (11 केवी फीडर सेपरेशन की 1.लाख सीकेएम लाइन बिछाना। 139

आईपीडीएस के तहत कार्यान्वित कार्यो का विवरण:

**कुल समापन लागत :28,886 करोड़ रुपये।**

क (994 नए 33/स्टेशनों की स्थापना।-केवी सब 11

ख (33/11 केवी के स्टेशनों का विस्तार।-सब 1609

ग (33,884 सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें बिछाना।

घ (59,993 वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना। (डीटीआर)

ड (89,67,बाउंड्री मीटर की स्थापना।/फीडर मीटर/डीटी मीटर/प्रीपेड मीटर/स्मार्ट मीटर/उपभोक्ता मीटर 566

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है:

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	2,326,656
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	792,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045
10	झारखंड	1,730,708
11	कर्नाटक	383,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922
15	मणिपुर	108,115
16	मेघालय	200,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	139,516
19	ओडिशा	2,452,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	2,127,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	515,084
26	त्रिपुरा	139,090
27	उत्तर प्रदेश	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290
<b>कुल</b>		<b>2,86,13,424</b>

\*सौभाग्य के तहत वित्तपोषित नहीं

## आरडीएसएस वायब्रेंट+अतिरिक्त परिवार+पीवीटीजी)ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू (विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए में)	संस्वीकृत जीबीएस करोड़ रूपये ) (में)	कुल संस्वीकृत घर	दिनांक 18.07.2024 तक विद्युतीकृत घर
<b>क. आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घर</b>					
1	राजस्थान	459.18	275.51	190,959	62,160
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	68.94	62.04	13,715	0
4	नागालैंड	65.10	58.59	10,398	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	251,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	11,384
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	14.96	13.46	1,936	0
9	बिहार	119.57	71.74	21,658	0
10	असम	785.55	706.99	127,111	0
	<b>कुल (क)</b>	<b>2,936.75</b>	<b>2,173.12</b>	<b>684,112</b>	<b>73,544</b>
<b>ख. वाईब्रेंट गांवों में आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत</b>					
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	3,536	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	<b>कुल (ख)</b>	<b>39.34</b>	<b>35.40</b>	<b>6,373</b>	
<b>ग. पीएमजनमन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण-</b>					
	<b>आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत</b>				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	22,245
2	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	3,172
3	झारखंड	53.39	32.03	9,134	0
4	मध्य प्रदेश	136.07	81.65	27,358	7,517
5	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	8,556
6	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	9,815
7	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	811
8	केरल	0.86	0.52	345	303
9	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,781
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,862
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	2,367
12	उत्तराखंड	0.41	0.37	221	667
13	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	157
	<b>कुल (ग)</b>	<b>487.63</b>	<b>311.15</b>	<b>123,530</b>	<b>64,253</b>
	<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>3,463.72</b>	<b>2,519.67</b>	<b>8,14,015</b>	<b>1,37,797</b>

ऊर्जा के संबंध में देश में पिछले दस वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए जून, 2024 तक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वर्ष	ऊर्जा [में (एमयू) मिलियन यूनिट]			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा	
			(एमयू)	(%)
2014-15	10,68,923	10,30,785	38,138	3.6
2015-16	11,14,408	10,90,850	23,558	2.1
2016-17	11,42,928	11,35,332	7,596	0.7
2017-18	12,13,326	12,04,697	8,629	0.7
2018-19	12,74,595	12,67,526	7,070	0.6
2019-20	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25 (जून-2024 तक)*	4,51,746	4,51,172	574	0.1

\* जून, 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1645  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीस्थापना की स्थिति (एफजीडी) सल्फराइजेशन-

1645. श्री पी:चौधरी .पी .

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)संपूर्ण देश के ताप ( विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीउपकरणों की स्थापना की (एफजीडी) सल्फराइजेशन-वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख)की संख्या का (टीपीपी) एफजीडी स्थापना को पूरा करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों (श्रेणीवार ब्यौरा क्या है-;

(ग)क्या किसी ताप विद्युत संयंत्र को एफजीडी स्थापना में विलम्ब का सामना करना पड़ा है और यदि हां (, तो ऐसे विलम्ब के कारण क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ)अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों से अब तक क-गैर (ितनी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यदि कोई एकत्र की गई है; और

सीमा या मुआवजा संरचना को संशोधित करने का विचार -क्या सरकार का एफजीडी स्थापना के लिए समय (ड) है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) (: वर्तमान में, देश भर में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की 537 इकाइयों में फ्लू गैस डी-संस्थापित किया जा रहा है। देश भर में तापविद्युत संयंत्रों में एफजीडी उपकरणों की (एफजीडी) सल्फराइजेशन :संस्थापना की वर्तमान स्थिति निम्नवत है

एफजीडी की स्थिति	क्षमता वाली इकाइयों की संख्या
संस्थापित एफजीडी	39 (19,430 मेगावाट)
अवाई किए गए अनुबंध/ कार्यान्वयन के अधीन	238 (1,05,200 मेगावाट)
निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में	139 (42,847 मेगावाट)
पूर्व-निविदा प्रक्रिया में	121 (36,683 मेगावाट)

(ख) : एफजीडी संस्थापना की संख्या का विवरण निम्नवत (टीपीपी) पूरी कर चुके तापविद्युत संयंत्र (श्रेणीवार) :हैं

श्रेणी	पूरी हुई एफजीडी संस्थापना (इकाइयाँ और क्षमता)
क	11 (4,390 मेगावाट)

ख	2 (1,160 मेगावाट)
ग	26 (13,880 मेगावाट)
कुल	39 (19,430 मेगावाट)

(ग): कुछ तापविद्युत संयंत्रों को एफजीडी की संस्थापना में विलम्ब का सामना करना पड़ा है। तापविद्युत संयंत्रों में एफजीडी प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान सामना की जा रही प्रमुख समस्याएं: चुनौतियाँ इस प्रकार हैं/

- (i) एफजीडी तकनीक हमारे देश के लिए नई है, वर्तमान में एफजीडी के विक्रेताओं की संख्या सीमित होने के कारण एफजीडी घटकों की आपूर्ति और संस्थापना हेतु विक्रेताओं की क्षमता भी सीमित है। देश में एफजीडी संस्थापना के लिए विक्रेताओं की क्षमता लगभग 16-17 गीगावाट 2033 से है तथा संस्थापना (इकाई 39 महीन 48 से 44 के लिए लगभग) का समय लगता है। मांग में अचानक उछाल आया है, क्योंकि सभी तापविद्युत उत्पादन इकाइयों को कम समय के भीतर SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना पड़ता है, जिससे एफजीडी उपकरणों की मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया है।
- (ii) भारत में 70% एफजीडी घटकों की विनिर्माण क्षमता मौजूद थी जो अब समय बीतने के साथ बढ़कर 80% हो गई है। हालाँकि, भारत अभी भी अन्य देशों से आयात पर निर्भर है। इसके अलावा, अन्य देशों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और कुशल जनशक्ति के आयात के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होती है।
- (iii) एफजीडी प्रणाली की संस्थापना में संकल्पना, डिजाइन चुनौतियाँ आदि के संदर्भ में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसका मानकीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि विभिन्न साइट की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं जैसे कि स्थान की बाधयता, लेआउट और अभिविन्यास आदि।-

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए, विक्रेताओं को अपनी क्षमता बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए एफजीडी के सभी कलपूर्जों के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(ड) और (घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 05.09.2022 की अधिसूचना के अनुसार 2022, श्रेणी क, ख और ग कोयला आधारित तापविद्युत संयंत्रों द्वारा (संयंत्र के स्थान के आधार पर) SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन की समय सीमा क्रमशः दिसंबर-2024, दिसंबर ,2025 और दिसंबर ,2026 रखी गई है। कोयला आधारित तापविद्युत संयंत्रों को इन निर्धारित समय सीमाओं के भीतर-SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर तापविद्युत संयंत्रों पर SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1711  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली की माँग में वृद्धि

1711. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और (डीडीयूजीजेवाई) के कारण देश भर के कई गांवों में बिजली की मांग बहुत (आईपीडीएस) एकीकृत विद्युत विकास योजना बढ़ रही है;

(ख) यदि हां (, तो हरियाणा सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है-वार और जिले-;

(ग) क्या सरकार को बिजली की मांग में भारी वृद्धि को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है (;

(घ) यदि हां (, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) वार बिजली की भारी कमी का सामना करने वाले गांवों की संख्या क्या है-राज्य और जिले (; और

उठाए जा रहे कदम क्या हैं/ उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए (च)?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

: (ङ) से (क)जी हाँ। हालांकि, देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। हमने पिछले दस वर्षों में 2,14, 237 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता में परिवर्तित हो गया है। हमने उत्पादन क्षमता को मार्च में 2014 2,48,79 मेगावाट से 554.5% बढ़ाकर जून, 4 में 2024,46, मेगावाट कर दिया है। 190

हमने अप्रैल, 1 से पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ने के लिए 2014,95, 181सीकेटी किलोमीटर पारेषण लाइनें जोड़ी हैं। इससे हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,मेगावाट अंतरित 740 करने में सक्षम हुए हैं।

पिछले दस )10वर्षों के दौ (रान, हमने उपपारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ करके निर्बाध बिजली आपूर्ति - (डीडीयूजीजेवाई) प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना योजनाएं कार्यान्वित की हैं। (आईपीडीएस) और एकीकृत विद्युत विकास

हमने देश के ग्रामीण क्षेत्र में सभी इच्छुक गैरविद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों - को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री भी कार्यान्वित की है। (सौभाग्य) -सहज बिजली हर घर योजना

इन स्कीमों के अंतर्गत, 1.लाख करोड़ के निवेश के साथ 85, 18,गांवों का विद्युतीकरण किया गया है 374 2 और.करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। परिणामस्वरूप 86, 100% गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अलावा, नए सबस्टेशन जोड़े गए हैं 2927, मौजू 3965दा सबस्टेशनों को उन्नत किया गया है, 6,92,वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं 200, 8 कृषि फीडर सेपरेशन किया गया है और 7833. लाख 5सीकेटी किलोमीटर सीकेएम)) एचटी और एलटी लाइनों को जोड़ाबदला गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप/, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 12 में 2015.21 में 2024 घंटे से बढ़कर वर्ष 5.घंटे हो गई है। 9 23 में बढ़कर 2024 शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति वर्ष.घंटे हो गई है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की 4 2013 गई ऊर्जा के बीच का अंतर वर्ष-4 में 14.2% से घटकर वित्त वर्ष 2024- 25(जून, 0 में (तक 2024.1% हो गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए जून, तक ऊर्जा के संदर्भ में देश में वास्तविक 2024विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट में(एमयू)]					
	ऊर्जा आवश्यकता		आपूर्ति की गई ऊर्जा		आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	% वृद्धि	(एमयू)	% वृद्धि	(एमयू)	(%)
2019-20	1,291,010	1.3	1,284,444	1.3	6,566	0.5
2020-21	1,275,534	(-) 1.2	1,270,663	(-) 1.1	4,871	0.4
2021-22	1,379,812	8.2	1,374,024	8.1	5,787	0.4
2022-23	1,513,497	9.7	1,505,914	9.6	7,583	0.5
2023-24	1,626,132	7.4	1,622,020	7.7	4,112	0.3
2024-25 (जून तक 2024)*	451,746	---	451,172	---	574	0.1

\*जून, 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं

उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि कुल मिलाकर ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि के अनुरूप रही है, तथा दोनों के बीच केवल मामूली अंतर है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति के बीच यह अंतर भी आम तौर पर राज्य पारेषणवितरण नेटवर्क आदि में बाधाओं के कारण होता है।/

ऊर्जा के संदर्भ में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तथा वर्तमान वर्ष जून, 2024 तक हरियाणा राज्य सहित देश में राज्यवार-क्षेत्रवार वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध/। (एम संलग्न है। (एफ)-

यह उल्लेख किया जा सकता है कि पूरे राज्य के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा उपलब्ध है तथा राज्य के विभिन्न उपभोक्ताओंवितरण इकाई का विशेषाधिकार है।/जिलों को आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/

(चदेश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :  
:हैं

ii) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष तक अनुमानित क्षमता 2032 :नीचे दी गई है (निर्माणाधीन और चिन्हित) वृद्धि

क80 तक न्यूनतम 2032 वर्ष (,मेगावाट की तापीय क्षमता। 000

ख25 तक 2032 वर्ष (,मेगावाट की जलविद्युत क्षमता। 010

ग14 तक 2032 वर्ष (, मेगावाट की 300न्यूक्लियर क्षमता।

घ50 तक 2032 वर्ष (, 760मेगावाट की पंप भंडारण संयंत्र )पीएसपी) क्षमता।  
डमेगावाट की लघु जलविद्युत क्षमता। 510 तक 2032 वर्ष (.  
च1 तक 2032 वर्ष (,43, मेगावाट की सौर 980विद्युत क्षमता।  
छ23 तक 2032 वर्ष (, मेगावाट की पवन 340विद्युत क्षमता।

इस प्रकार, वर्ष तक कुल अनुमानित क्षमता 2032 वृद्धि 3,37,मेगावाट होगी। 900

)ii) मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम की धारा के तहत आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अपनी पूरी 11 क्षमता से संचालन और विद्युत उत्पादन करने के निर्देश जारी किए हैं। शाम के व्यस्त समय के दौरान विद्युत की कमी को देखते हुए इस निर्देश को दिनांक 15.10.तक बढ़ा दिया गया है। 2024

)iii) एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ साथ-अन्य उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान निर्धारित किया जा रहा है।

)iv) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी जेनको को नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।

)vi) हाइड्रो आधारित उत्पादन को इस तरह से निर्धारित किया जा रहा है ताकि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।

)vii) उच्चतम मांग की अवधि के दौरान उत्पादन इकाइयों के नियोजित रखरखाव को कम किया जा रहा है।

viii) भारत सरकार ने देश में वित्तीय रूप से सतत् और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, में 2021 शुरू की। (आरडीएसएस) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

इसके अतिरिक्त, बिजली एक समवर्ती विषय है, इसलिए किसी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली / विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। देश में पर्याप्त मात्रा में/की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार विद्युत उपलब्ध है। किसी भी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उचित मात्रा में बिजली की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारविद्युत यूटिलिटी के अधिकार / के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में (सीपीएसयू) क्षेत्र में है। केंद्र सरकार केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमोंविद्युत संयंत्र स्थापित करके और उनसे हरियाणा राज्य सहित विभिन्न राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को बिजली आवंटित करके / राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है।

विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार तुलना वित्तीय वर्ष) ऊर्जा - 2024-25)				
(आंकड़े एमयू निवल में)				
राज्य/	अप्रैल, 2024 - जून, 2024			
प्रणाली /	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	( % )
चंडीगढ़	578	578	0	0.0
दिल्ली	11,614	11,606	8	0.1
हरियाणा	19,332	19,321	11	0.1
हिमाचल प्रदेश	3,252	3,237	15	0.5
जम्मू एवं कश्मीर	4,815	4,791	25	0.5
पंजाब	20,515	20,515	0	0.0
राजस्थान	28,946	28,744	202	0.7
उत्तर प्रदेश	48,846	48,765	80	0.2
उत्तराखंड	4,682	4,668	14	0.3
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>142,980</b>	<b>142,626</b>	<b>354</b>	<b>0.2</b>
छत्तीसगढ़	11,106	11,104	2	0.0
गुजरात	42,404	42,404	0	0.0
मध्य प्रदेश	25,240	25,217	23	0.1
महाराष्ट्र	53,338	53,334	5	0.0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,696	2,696	0	0.0
गोवा	1,437	1,431	6	0.4
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>138,588</b>	<b>138,552</b>	<b>36</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	20,501	20,501	0	0.0
तेलंगाना	19,411	19,411	0	0.0
कर्नाटक	23,704	23,704	0	0.0
केरल	8,529	8,527	2	0.0
तमिलनाडु	35,385	35,385	0	0.0
पुदुचेरी	970	970	0	0.0
लक्षद्वीप )#)	18	18	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>108,513</b>	<b>108,511</b>	<b>2</b>	<b>0.0</b>
बिहार	12,601	12,514	87	0.7
झारखंड	4,140	4,089	52	1.3
ओडिशा	11,996	11,991	5	0.0
पश्चिम बंगाल	20,806	20,775	31	0.2
सिक्किम	137	137	0	0.0
अंडमान) निकोबार-#)	114	112	3	2.6
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>56,456</b>	<b>56,279</b>	<b>177</b>	<b>0.3</b>
अरुणाचल प्रदेश	245	245	0	0.0
असम	3,314	3,309	5	0.1
मणिपुर	264	264	0	0.0
मेघालय	491	491	0	0.0
मिजोरम	166	166	0	0.0
नागालैंड	233	233	0	0.0
त्रिपुरा	494	494	0	0.0
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>5,208</b>	<b>5,204</b>	<b>5</b>	<b>0.1</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>451,746</b>	<b>451,172</b>	<b>574</b>	<b>0.1</b>
(# लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकल प्रणाली हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।				
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।				

विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार तुलना वित्तीय वर्ष) ऊर्जा - 2023-24)				
(आंकड़े एमयू निवल में)				
राज्य/	अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
प्रणाली /	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	( % )
चंडीगढ़	1,789	1,789	0	0.0
दिल्ली	35,501	35,496	5	0.0
हरियाणा	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,533	69,528	5	0.0
राजस्थान	107,422	106,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	148,791	148,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,644	15,532	112	0.7
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>476,852</b>	<b>474,946</b>	<b>1,906</b>	<b>0.4</b>
छत्तीसगढ़	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	145,768	145,740	28	0.0
मध्य प्रदेश	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	207,108	206,931	176	0.1
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10,164	10,164	0	0.0
गोवा	5,111	5,111	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>517,714</b>	<b>517,301</b>	<b>413</b>	<b>0.1</b>
आंध्र प्रदेश	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	84,623	84,613	9	0.0
कर्नाटक	94,088	93,934	154	0.2
केरल	30,943	30,938	5	0.0
तमिलनाडु	126,163	126,151	12	0.0
पुदुचेरी	3,456	3,455	1	0.0
लक्षद्वीप )#)	64	64	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>419,531</b>	<b>419,293</b>	<b>238</b>	<b>0.1</b>
बिहार	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,560	26,552	8	0.0
झारखंड	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	544	543	0	0.0
अंडमान) निकोबार-#)	386	374	12	3.2
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>192,013</b>	<b>190,747</b>	<b>1,266</b>	<b>0.7</b>
अरुणाचल प्रदेश	1,014	1,014	0	0.0
असम	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	684	684	0	0.0
नागालैंड	921	921	0	0.0
त्रिपुरा	1,691	1,691	0	0.0
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>20,022</b>	<b>19,733</b>	<b>289</b>	<b>1.4</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>1,626,132</b>	<b>1,622,020</b>	<b>4,112</b>	<b>0.3</b>
(# लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकल प्रणाली हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।				
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।				

विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार तुलना वित्तीय वर्ष) ऊर्जा - 2022-23)				
(आंकड़े एमयू निवल में )				
राज्य/	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023			
प्रणाली /	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
क्षेत्र	(एमयू(	(एमयू(	(एमयू(	( % )
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4
राजस्थान	101,801	100,057	1,745	1.7
उत्तर प्रदेश	144,251	143,050	1,201	0.8
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>463,088</b>	<b>458,640</b>	<b>4,449</b>	<b>1.0</b>
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2
गुजरात	139,043	138,999	44	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4
महाराष्ट्र	187,309	187,197	111	0.1
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10,018	10,018	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>477,393</b>	<b>476,808</b>	<b>586</b>	<b>0.1</b>
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0
केरल	27,747	27,726	21	0.1
तमिलनाडु	114,798	114,722	77	0.1
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0.0
लक्षद्वीप )#)	64	64	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>371,467</b>	<b>370,900</b>	<b>567</b>	<b>0.2</b>
बिहार	39,545	38,762	783	2.0
डीवीसी	26,339	26,330	9	0.0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0
अंडमान) निकोबार-#)	348	348	0	0.1
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>182,791</b>	<b>180,888</b>	<b>1,903</b>	<b>1.0</b>
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6
असम	11,465	11,465	0	0.0
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0
मिजोरम	645	645	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>18,758</b>	<b>18,680</b>	<b>78</b>	<b>0.4</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>1,513,497</b>	<b>1,505,914</b>	<b>7,583</b>	<b>0.5</b>
(# लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकल प्रणाली हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।				
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।				

विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार तुलना वित्तीय वर्ष) ऊर्जा - 2021-22)				
		(आंकड़े एमयू निवल में)		
राज्य/	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022			
प्रणाली /	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	( % )
चंडीगढ़	1,606	1,606	0	0.0
दिल्ली	31,128	31,122	6	0.0
हरियाणा	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	129,448	128,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	15,521	15,426	94	0.6
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>417,934</b>	<b>413,915</b>	<b>4,019</b>	<b>1.0</b>
छत्तीसगढ़	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	123,953	123,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	172,823	172,809	14	0.0
दमन और दीव	2,594	2,594	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	6,839	6,839	0	0.0
गोवा	4,448	4,448	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>429,065</b>	<b>428,683</b>	<b>383</b>	<b>0.1</b>
आंध्र प्रदेश	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	70,539	70,523	16	0.0
कर्नाटक	72,437	72,417	20	0.0
केरल	26,579	26,570	9	0.0
तमिलनाडु	109,816	109,798	18	0.0
पुदुचेरी	2,894	2,893	1	0.0
लक्षद्वीप )#)	56	56	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>350,678</b>	<b>350,421</b>	<b>258</b>	<b>0.1</b>
बिहार	36,216	35,761	455	1.3
डीवीसी	23,741	23,736	4	0.0
झारखंड	11,148	10,590	558	5.0
ओडिशा	38,339	38,332	7	0.0
पश्चिम बंगाल	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	610	609	0	0.0
अंडमान) निकोबार-#)	335	327	8	2.3
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>164,054</b>	<b>162,973</b>	<b>1,081</b>	<b>0.7</b>
अरुणाचल प्रदेश	875	874	1	0.1
असम	10,844	10,825	19	0.2
मणिपुर	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	656	644	12	1.8
नागालैंड	852	851	1	0.1
त्रिपुरा (*)	1,578	1,578	0	0.0
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>18,079</b>	<b>18,033</b>	<b>47</b>	<b>0.3</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>1,379,812</b>	<b>1,374,024</b>	<b>5,787</b>	<b>0.4</b>
(#)लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकल प्रणाली हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।				
(*)इसमें बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा शामिल नहीं है।				
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।				

विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार तुलना वित्तीय वर्ष) ऊर्जा - 2020-21)				
		(आंकड़े एमयू निवल में)		
राज्य/	अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
प्रणाली /	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	( % )
चंडीगढ़	1,523	1,523	0	0.0
दिल्ली	29,560	29,555	4	0.0
हरियाणा	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	10,186	10,130	56	0.5
जम्मू एवं कश्मीर	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	124,367	123,383	984	0.8
उत्तराखंड	13,827	13,818	8	0.1
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>396,151</b>	<b>392,323</b>	<b>3,829</b>	<b>1.0</b>
छत्तीसगढ़	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	111,622	111,622	0	0.0
मध्य प्रदेश	83,437	83,437	0	0.0
महाराष्ट्र	150,679	150,663	16	0.0
दमन और दीव	2,223	2,223	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	5,497	5,497	0	0.0
गोवा	4,083	4,083	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>388,013</b>	<b>387,975</b>	<b>38</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	62,080	62,076	4	0.0
तेलंगाना	66,998	66,994	4	0.0
कर्नाटक	68,851	68,831	19	0.0
केरल	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	101,194	101,189	5	0.0
पुदुचेरी	2,644	2,644	0	0.0
लक्षद्वीप )#)	56	56	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>326,885</b>	<b>326,836</b>	<b>48</b>	<b>0.0</b>
बिहार	34,171	34,018	153	0.4
डीवीसी	21,368	21,368	0	0.0
झारखंड	9,953	9,675	278	2.8
ओडिशा	29,848	29,848	0	0.0
पश्चिम बंगाल	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	546	546	0	0.0
अंडमान) निकोबार-#)	346	323	23	6.7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>147,530</b>	<b>146,999</b>	<b>531</b>	<b>0.4</b>
अरुणाचल प्रदेश	719	714	5	0.7
असम	10,192	9,815	377	3.7
मणिपुर	974	969	5	0.5
मेघालय	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	728	723	4	0.6
नागालैंड	826	822	4	0.5
त्रिपुरा (*)	1,484	1,481	3	0.2
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>16,955</b>	<b>16,531</b>	<b>424</b>	<b>2.5</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>1,275,534</b>	<b>1,270,663</b>	<b>4,871</b>	<b>0.4</b>
(#)लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकल प्रणाली हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।				
(*)इसमें बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा शामिल नहीं है।				
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।				



विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार तुलना वित्तीय वर्ष) ऊर्जा - 2019-20)				
(आंकड़े एमयू निवल में)				
राज्य/	अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020			
प्रणाली /	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	( % )
चंडीगढ़	1,732	1,732	0	0.0
दिल्ली	33,086	33,077	9	0.0
हरियाणा	54,505	54,492	13	0.0
हिमाचल प्रदेश	10,424	10,353	71	0.7
जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	20,025	16,259	3,767	18.8
पंजाब	56,776	56,770	6	0.0
राजस्थान	81,281	81,222	58	0.1
उत्तर प्रदेश	122,549	121,004	1,545	1.3
उत्तराखंड	14,472	14,376	96	0.7
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>394,851</b>	<b>389,285</b>	<b>5,566</b>	<b>1.4</b>
छत्तीसगढ़	30,111	30,107	4	0.0
गुजरात	113,940	113,939	1	0.0
मध्य प्रदेश	76,172	76,172	0	0.0
महाराष्ट्र	155,167	155,166	0	0.0
दमन और दीव	2,574	2,574	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	6,528	6,528	0	0.0
गोवा	4,350	4,350	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>388,841</b>	<b>388,836</b>	<b>5</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	65,452	65,414	38	0.1
तेलंगाना	68,306	68,303	3	0.0
कर्नाटक	72,799	72,796	3	0.0
केरल	26,315	26,265	50	0.2
तमिलनाडु	108,816	108,812	4	0.0
पुदुचेरी	2,847	2,846	1	0.0
लक्षद्वीप )#)	46	46	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>344,535</b>	<b>344,436</b>	<b>99</b>	<b>0.0</b>
बिहार	31,627	31,533	94	0.3
डीवीसी	22,429	22,427	2	0.0
झारखंड	8,941	8,872	69	0.8
ओडिशा	29,692	29,692	0	0.0
पश्चिम बंगाल	52,948	52,824	124	0.2
सिक्किम	554	554	0	0.0
अंडमान) निकोबार-#)	346	323	23	6.7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>146,191</b>	<b>145,902</b>	<b>289</b>	<b>0.2</b>
अरुणाचल प्रदेश	753	749	4	0.5
असम	9,804	9,288	516	5.3
मणिपुर	924	917	6	0.7
मेघालय	2,112	2,064	48	2.3
मिजोरम	647	643	4	0.7
नागालैंड	814	809	5	0.7
त्रिपुरा (*)	1,538	1,515	23	1.5
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>16,591</b>	<b>15,984</b>	<b>607</b>	<b>3.7</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>1,291,010</b>	<b>1,284,444</b>	<b>6,566</b>	<b>0.5</b>
(#)लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकल प्रणाली हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।				
(*)इसमें बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा शामिल नहीं है।				
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।				

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1717  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ  
ओडिशा में नए विद्युत संयंत्र

1717. श्रीमती मालविका देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(कक्या सरकार का भविष्य में देश के पूर्वी भाग (, विशेषकर ओडिशा में कोई नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(खसरकार द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए प (ुराने स्रोतों के बजाय नए नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गएउठाए जा रहे कदम क्या हैं/; और

सरकार द्वारा सौर (ग), पवन और जल विद्युत के अंतर्गत शुरू की गई राजसहायता वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

: (क) विद्युत अधिनियम, -के अनुसार देश में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना एक गैर 7 की धारा 2003 लाइसेंसकृत गतिविधि है और कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, संचालन और रखरखाव कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो। हालांकि, विद्युत अधिनियम, 8 की धारा 2003(1) के अनुसार, हाइड्रो उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की इच्छुक कोई भी उत्पादन कंपनी एक स्कीम तैयार करेगी और उसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की (सीईए) सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी, जिसमें अनुमानित पूंजी व्यय ऐसी राशि वर्तमान में), से अधिक हो (करोड़ रुपये 1000, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समयसमय पर अधिसूचना द्वारा तय किया जा सकता है।

देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए 20, मेगावाट की तापीय 200क्षमता की पहचान की गई है, जिसमें विशेष रूप से ओडिशा राज्य में 6, मेगावाट शामिल है। विवरण 640अनुबंध पर संलग्न हैं।

इसके अलावा, ओडिशा सहित पूर्वी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी जिसकी सहमति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई है, नीचे दी गई है:

क्र.सं .	परियोजना का नाम	राज्य
1.	ऊपरी इंद्रावती पम्प भंडारण परियोजना )600 मेगावाट(	ओडिशा
2.	रामम-III जल विद्युत परियोजना )800 मेगावाट(	पश्चिम बंगाल
3.	तुर्गा पम्प भंडारण परियोजना )1000 मेगावाट(	पश्चिम बंगाल
4.	तीस्ता स्टे.-IV जल विद्युत परियोजना )520 मेगावाट(	सिक्किम

: (ख) देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- (i) दिनांक जून 30,-तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर 2025 (आईएसटीएस) राज्यीय पारेषण प्रणाली-राज्यीय बिक्री के लिए अंतरप्रभारों की छूट।
- (ii) वर्ष 2029-के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा। (आरसीओ) तक नवीकरणीय उपभोग दायित्व 30
- (iii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (iv) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम-पीएम), सोलर रूफटॉप चरण II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण II; पीएम सूर्य घरमुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं। :
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नए सबस्टेशन क्षमता का निर्माण करना।-
- (vi) सौर फोटोवोल्टिक प्रणालीउपकरणों के लगाए जाने के लिए मानकों की अधिसूचना।/
- (vii) ग्रिड से जुड़े सौर पीवी और पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।
- (viii) सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा आरई उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विद्युत को लेटर ऑफ क्रेडिट या अग्रिम भुगतान की (एलसी) तुलना में भेजा जाएगा।
- (ix) ग्रीन एनर्जी खुली पहुंच नियम, के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना 2022
- (x) "विद्युत की अधिसूचना। (एलपीएस नियम) नियम (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले)
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ। (जीटीएएम)
- (xii) भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।
- (xiii) वित्त वर्ष 2023-2027 से वित्त वर्ष 24-तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी 28 की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्ट्री की अधिसूचना।
- (xiv) स्वचालित मार्ग के तहत की अन (एफडीआई) प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100%मति देना

(ग) : केंद्र सरकार ने सौर, पवन और जल विद्युत के अंतर्गत निम्नलिखित सब्सिडी योजनाएं उपाय शुरू किए / हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- (i) बाढ़ नियंत्रणके लिए बजटीय सहायता। (एचईपी) भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं/
- (ii) सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों पुलों की लागत/हेतु बजटीय सहायता।
- (iii) नई जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के संचरण पर आईएसटीएस शुल्क में छूट, जिसके लिए निर्माण कार्य दिया गया है और पीपीए दिनांक 30.06.को या उससे पहले हस्ताक्षरित किया गया 2025 है। इसके बाद, दिनांक 01.07.01 से 2025.07.25 तक 2028% के चरणों में आईएसटीएस शुल्क की आंशिक छूट, एचईपी के लिए बढ़ा दी गई है, जिसके लिए निर्माण कार्य दिया गया है और पीपीए दिनांक 30.06.तक हस्ताक्षरित किया गया है। 2028
- (iv) आईएसटीएस शुल्क में छूट पीएसपी को दी गई है, जिसके लिए निर्माण कार्य दिनांक 30.06. 2025 तक दिया गया है इसके बाद, दिनांक 01.07.01 से 2025.07.25 तक 2028% के चरणों में आईएसटीएस शुल्क की आंशिक छूट को उन पीएसपी के लिए बढ़ा दिया गया है जिनके लिए निर्माण कार्य दिनांक 30.06.तक दिए गए हैं। 2028
- (v) पीएम सूर्य घरमुफ्त बिजली योजना :
- (vi) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्रीय (पीवी) -स्कीम चरण (सीपीएसयू) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।। (सरकारी उत्पादक योजना)
- (vii) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर कार्यक्रम'
- (viii) सौर पार्क स्कीम
- (ix) पीएमकुसुम स्कीम-

वर्ष 2031-तक शुरु हो 32ने वाली ओडिशा सहित पूर्वी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं  
)दिनांक 25.07.तक की स्थिति 2024 के अनुसार(

क्र.सं .	परियोजना का नाम	राज्य	कुल क्षमता मेगावाट ) (में)
1	दरलीपल्ली-II	ओडिशा	800
2	न्यू नबी नगर-II	बिहार	2400
3	पतरातू स्टेज II	झारखंड	1600
4	रघुनाथपुर टीपीएस, फेज-II	पश्चिम बंगाल	1320
5	दुर्गापुर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	800
6	कोडरमा टीपीएस, फेज-II	झारखंड	1600
7	चंद्रपुरा एक्सटेंशन टीपीएस	झारखंड	800
8	एनएलसी तालाबीरा एसटीपीएस	ओडिशा	800
9	बक्सर टीपीपी-II	बिहार	800
10	महानदी बेसिन पावर	ओडिशा	1600
11	आईबी वैली एक्सटेंशन स्टे.-III, (यूनिट 5 और 6)	ओडिशा	1320
12	तेनुघाट स्टे.-II	झारखंड	1320
13	संतालडीह टीपीएस, स्टे.-II, यूनिट 3 और 4	पश्चिम बंगाल	1600
14	बरकेश्वर टीपीएस, स्टे.-II, यूनिट 3	पश्चिम बंगाल	660
15	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	660
16	इंड भारत एक्सटेंशन	ओडिशा	800
17	एनएसएल, नागपट्टनम पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तालचेर, अंगुल	ओडिशा	1320

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1725  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र

1725. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऊर्जा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खजुराहो (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगमके माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र (एनटीपीसी) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां (क), तो परियोजना की स्थिति क्या है और इसके निष्पादन की समयसीमा संबंधी ब्यौरा क्या है-; और

यदि नहीं (ग), तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क: (ग) से ( एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल), सौर पार्क स्कीम के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत इंजीनियरिंग (एमएनआरई), क्रय एवं निर्माण में (छतरपुर-जिला) मोड के अंतर्गत खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के बरेठी (ईपीसी)630 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है।

परियोजना के विकास के लिए भूमि एनआरईएल को हस्तांतरित कर दी गई है। ईपीसी पैकेज और पूलिंग सबस्टेशन पैकेज के लिए निविदा आमंत्रण सूचना एनआरईएल द्वारा जारी की गई है और निविदा (एनआईटी) सितंबर, 2024 तक प्रदान किए जाने की संभावना है। परियोजना के पूरा होने की अपेक्षित तिथि मार्च, 2026 है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1758

अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

तपोवनविष्णुगाड जल विद्युत परियोजना-

1758. श्री सुखदेव भगत :

डॉ:अमर सिंह .

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क-की तपोवन (एनटीपीसी) उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है;

(ख उक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से सरकारी (बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और क्या सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने से पूर्व कोई भूवैज्ञानिक (ग), भूभौतिकीय और भूतकनीकी अध्ययन - कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क)और (ख) : तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना )520 मेगावाटके विकास के लिए नेशनल थर्मल (द्वारा किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कोई परियोजना विशिष्ट ऋण नहीं (एनटीपीसी) पावर कॉर्पोरेशन लिया गया। इस परियोजना को बैलेंस शीट वित्तपोषण मोड के तहतएनटीपीसी के ऋण के सामान्य पूल के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, जिसमें एनटीपीसी ने निम्नलिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की व्यवस्था की है :

क्रम संख्या	बैंक का नाम	क्षेत्र
1.	एक्सिस बैंक	निजी
2.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	
3.	आईसीआईसीआई बैंक	
4.	जम्मू और कश्मीर बैंक	
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	सार्वजनिक
6.	बैंक ऑफ इंडिया	
7.	पंजाब नेशनल बैंक	
8.	भारतीय स्टेट बैंक	
9.	यूको बैंक	
10.	यूनियन बैंक	

(ग) : तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना )520 मेगावाट (अब उत्तराखंड) के विकास के लिए उत्तरांचल (सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक31.12.2002 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (जीएसआई) ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी(, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला के परामर्श से दिनांक (सीएसएमआरएस) 11.08.2004 को तकनीकीआर्थिक मंजूरी प्रदान की। सहमति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में-, एनटीपीसी ने भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भूतकनीकी जांच जैसे बोरहोल ड्रिलिंग-, एक्सप्लोरेटरी ड्रिप्टिंग, पेट्रोग्राफिक अध्ययन प्लेट लोड परीक्षण और स्वस्थाने तनाव परीक्षण आदि किए हैं। परियोजना के निवेश की मंजूरी एनटीपीसी बोर्ड - द्वारा दिनांक16.11.2006 को दी गई थी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1796

दिनांक अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

ऊर्जा के पारंपरिक और गैरपरंपरागत स्रोत-

1796. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ऊर्जा मांग और आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पारंपरिक स्रोतों और ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए उनकी -ऊर्जा के विभिन्न पारंपरिक और गैर (भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में हरित ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है (; और

इस क्षेत्र में (घ) सक्रिय पहल करने वाली सरकारी और निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। हमने पिछले दस वर्षों में 2,14,237 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में परिवर्तित हो गया है। हमने उत्पादन क्षमता को मार्च 2014 के 2,48,554 मेगावाट से 79.5% बढ़ाकर जून 2024 में 4,46,190 मेगावाट कर दिया है।

हमने अप्रैल, 2014 से अब तक 1,95,181 सीकेटी किलोमीटर पारिषण लाइनें जोड़ी हैं, जो पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड से जोड़ती हैं। इससे हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत स्थानांतरित करने में सक्षम हुए हैं। हमने डीडीयूजीजेवाई/आईपीडीएस/सौभाग्य के तहत 1.85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को कार्यान्वित करके वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। उपरोक्त वितरण क्षेत्र स्कीमों के तहत, 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (किमी) का फीडर पृथक्करण किया गया है और राज्यों में 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनों को जोड़ा/उन्नत किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति वर्ष 2024 में बढ़कर 23.4 घंटे हो गई है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर वर्ष 2013-14 में 4.2% से घटकर वित्त

वर्ष 2024-25 (जून, 2024 तक) में 0.1% रह गया है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच यह अंतर भी आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं और डिस्कॉम आदि की वित्तीय बाधाओं के कारण होता है।

पिछले दस वर्षों और वर्तमान वर्ष जून-2024 तक ऊर्जा की दृष्टि से देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

**(ख) :** दिनांक 30.06.2024 तक ऊर्जा के विभिन्न पारंपरिक और गैरपारंपरिक स्रोतों का विवरण और देश में - ऊर्जा की मांग को पूरा करने में उनकी हिस्सेदारी **अनुबंध-II** पर दी गई है।

**(ग) :** सरकार ने देश में हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति।
- (ii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार में छूट।
- (iii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेडिंग की घोषणा।
- (iv) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (v) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास आदि जैसी स्कीमें।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नए सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना।
- (vii) ग्रिड से जुड़े सौर पीवी और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।
- (viii) हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना।
- (ix) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ।
- (x) भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।

**(घ) :** देश में प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा सार्वजनिक और विकासकर्ताओं (आरई)र निजी का विवरण **(अनुबंध-III)** पर दिया गया है।



ऊर्जा के संबंध में देश में पिछले दस वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए जून-2024 तक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वर्ष	ऊर्जा [में (एमयू) मिलियन यूनिट]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2014-15	10,68,923	10,30,785	38,138	3.6
2015-16	11,14,408	10,90,850	23,558	2.1
2016-17	11,42,928	11,35,332	7,596	0.7
2017-18	12,13,326	12,04,697	8,629	0.7
2018-19	12,74,595	12,67,526	7,070	0.6
2019-20	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25 (जून-2024 तक)*	4,51,746	4,51,172	574	0.1

\* जून, 2024 के आंकड़े अंतिम हैं

दिनांक 30.06.2024 तक ऊर्जा के विभिन्न पारंपरिक और गैरपारंपरिक स्रोतों के विवरण तथा देश में ऊर्जा की - मांग को पूरा करने में उनकी हिस्सेदारी

स्रोत		संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल का प्रतिशत हिस्सा
<b>पारंपरिक स्रोत:</b>			
ताप	कोयला	210969.50	47.28
	लिंगनाइट	6620.00	1.48
	गैस	24818.21	5.56
	डीज़ल	589.20	0.13
	<b>कुल ताप</b>	<b>242996.91</b>	<b>54.46</b>
न्यूक्लियर		8180.00	1.83
वृहत जलविद्युत		46,928.17	10.52
उपजोड़- (पारंपरिक स्रोत)		2,98,105.08	66.81
<b>गैरपारंपरिक:-</b>			
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ) (आरईएस)वृहत जलविद्युत सहित(	लघु जल विद्युत	5005.245	1.12
	पवन विद्युत	46656.37	10.46
	जैव विद्युत	10948.71	2.45
	सौर विद्युत	85474.31	19.16
उपजोड़- (गैर-पारंपरिक स्रोत)		148084.64	33.19
कुल संस्थापित क्षमता		446189.72	100.00

## प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा (सार्वजनिक और निजी) विकासकर्ताओं की सूची (आरई)

क्रम सं.	प्रमुख आरई विकासकर्ता	क्रम सं.	प्रमुख आरई विकासकर्ता
<b>सार्वजनिक</b>			
1	एनटीपीसी लिमिटेड	5	डीवीसी
2	एसजेवीएनएल	6	ऑयल इंडिया लिमिटेड
3	एनएचपीसी	7	ओएनजीसी
4	टीएचडीसी		
<b>निजी</b>			
8	एसीएमई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	18	अल्फानार विंड
9	अडानी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	19	अपरावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (ईपीएल)
10	एएमपी एनर्जी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड	20	ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड
11	एमप्लस एजेस प्राइवेट लिमिटेड	21	पॉवरिका विंड
12	अवाडा प्राइवेट लिमिटेड	22	सिटाक विंड
13	अयाना रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड	23	सृजन विंड
14	रिन्यू सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	24	टॉरेंट सोलरजेन लिमिटेड
15	एज्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड	25	ग्रीन इंफ्रा
16	टाटा पावर लिमिटेड	26	जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी टू लिमिटेड
17	सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड_बीकेएन2		

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1801  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के तहत घरों का विद्युतीकरण

1801. श्री सी:अन्नादुरई .एन .

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया (;

(ख) क्या सरकार (ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों का पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया है;

(ग) यदि हां (, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है-संघ राज्यक्षेत्र/;

(घ) कितनी वित्तीय सहायता प्रदान-वार कितनी-संघ राज्यक्षेत्र/सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्य (की गई है;

(ङ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां (, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास छोटे हुए घरों के विद्युतीकरण की कोई योजना है (;

(छ) यदि हां (, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

क्या सरकार ने (ज) तमिलनाडु सहित देश भर में घरों के विद्युतीकरण के लिए किसी नई परियोजना का अनुमोदनस्वीकृति प्रदान की है/; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है-संघ राज्यक्षेत्र/?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून), 2024 तक के दौरान देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा ( अनुबंध-1 पर दी गई है।

**(ख) से (छ) :** भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की। (सौभाग्य) सौभाग्य के अंतर्गत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक अविद्युतीकृत घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया था। देश के कुल 2.86 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। राज्य-वार घरेलू विद्युतीकरण और वितरित अनुदान के विवरण **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

भारत सरकार उन अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राज्यों को (आरडीएसएस)सहयोग दे रही है, जो सौभाग्य के अंतर्गत छूट गए थे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान -के अंतर्गत ऑन (जनमन-पीएम) ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिएचिन्हित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह घर आरडीएसएस (पीवीटीजी) के तहत वित्तपोषण के लिएपात्र हैं।

सौभाग्य स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

- (i) दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बिखरे हुए घर।
- (ii) कठिन एवं पहाड़ी इलाके, खराब मौसम, नदी/दलदली/बर्फ से ढके क्षेत्र।
- (iii) खराब/अपर्याप्त विद्युत अवसंरचना।
- (iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित स्थान।
- (v) वन क्षेत्र - मंजूरी की आवश्यकता।
- (vi) स्थानीय स्तर पर सामग्री (जैसे पोल, वितरण ट्रांसफार्मर, मीटर, आदि) की अनुपलब्धता।
- (vii) विभिन्न राइट ऑफ वे मुद्दे.

**(ज) और (झ) :** आरडीएसएस का (तमिलनाडु सहित) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण (अतिरिक्त घर+पीवीटीजी) वार विवरण-संघ राज्य क्षेत्र/राज्य**अनुबंध-IV** पर दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष जून), 2024 तकके दौरान देश में उत्पादित विद्युत ( की कुल मात्रा

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (जून तक)
कुल उत्पादित विद्युत	1,491,859.37	1,624,465.61	1,739,091.19	484,000.61

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से घरों का राज्यवार विद्युतीकरण, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम सं.	राज्यों का नाम	दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2022 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	2,326,656
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	792,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045
10	झारखंड	1,730,708
11	कर्नाटक	383,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922
15	मणिपुर	108,115
16	मेघालय	200,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	139,516
19	ओडिशा	2,452,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	2,127,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	515,084
26	त्रिपुरा	139,090
27	उत्तर प्रदेश	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290
<b>कुल</b>		<b>28,613,424</b>

\*सौभाग्य के तहत वित्तपोषित नहीं

## राज्य-वार वितरित अनुदान का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों / को जारी अनुदान
1	अरुणाचल प्रदेश	160
2	असम	705
3	बिहार	491
4	छत्तीसगढ़	379
5	हरियाणा	8
6	हिमाचल प्रदेश	2
7	जम्मू एवं कश्मीर	51
8	झारखंड	284
9	कर्नाटक	48
10	केरल	66
11	लद्दाख	-
12	मध्य प्रदेश	554
13	महाराष्ट्र	218
14	मणिपुर	91
15	मेघालय	206
16	मिजोरम	41
17	नागालैंड	54
18	ओडिशा	323
19	पंजाब	1
20	राजस्थान	305
21	सिक्किम	2
22	तेलंगाना	17
23	त्रिपुरा	267
24	उत्तर प्रदेश	1,815
25	उत्तराखंड	50
26	पश्चिम बंगाल	169
	<b>कुल</b>	<b>6,305</b>



आरडीएसएस संघ राज्य /के राज्य (तमिलनाडु सहित) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण (अतिरिक्त घर+पीवीटीजी) वार विवरण-क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य के नाम	संस्वीकृत परिव्यय करोड़ ) (रुपए में	संस्वीकृत जीबीएस करोड़ ) (रुपए में	कुल संस्वीकृत घर	दिनांक 18.07.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त घर				
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959	62,160
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	68.94	62.04	13,715	0
4	नागालैंड	65.10	58.59	10,398	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	11,384
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	14.96	13.46	1,936	0
9	बिहार	119.57	71.74	21,658	0
10	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
	कुल (क)	2,936.75	2,173.12	6,84,112	73,544
ख.	वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	3,536	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.40	6,373	
ग.	आरडीएसएस के अंतर्गत पीएमजनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम- से संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	22,245
2	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	3,172
3	झारखंड	53.39	32.03	9,134	0
4	मध्य प्रदेश	136.07	81.65	27,358	7,517
5	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	8,556
6	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	9,815
7	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	811
8	केरल	0.86	0.52	345	303
9	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,781
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,862
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	2,367
12	उत्तराखंड	0.41	0.37	221	667
13	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	157
	कुल (ग)	487.63	311.15	1,23,530	64,253
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	3,463.72	2,519.67	8,14,015	1,37,797

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1810  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युतीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1810. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेरजैसलमेर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा बस्तियों में - विद्युतीकरण के लिए चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में उक्त योजनाओं के लिए सरकार द्वारा दी गई बजट राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं में कार्य पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में की गई भौतिक प्रगति का जिलावार ब्यौरा क्या - है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार सौभाग्य योजना के अंतर्गत छूट गए घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत सहायता दे रही है। (आरडीएसएस) इस स्कीम के अंतर्गत, राजस्थान राज्य के लिए 1,90,959 छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए 459.18 करोड़ रुपये )275.51 करोड़ रुपये की सरकारी बजटीय सहायता जैसलमेर संसदीय -के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें बाड़मेर (के साथ (जीबीएस) क्षेत्र में54,197 घरों के विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत 155.75 करोड़ रुपये )93.45 करोड़ रुपये की जीबीएस के साथभी शामिल हैं। (

राजस्थान में आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकृत किये जाने वाले घरों की जिलावार संख्या अनुबंध-I पर दी गई है।

इसके अलावा, राजस्थान के बारां जिले में 17,633 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों के विद्युतीकरण के लिए40.34 करोड़ रुपये )24.20 करोड़ रुपये के जीबीएस के साथसंस्वीकृत किए ( गए हैं।

(ग) : राजस्थान में संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति का विवरण अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत घरों की संख्या	संस्वीकृत लागत रुपये करोड़)में(
1	बांसवाड़ा	14,990	25.30
2	झुंजरपुर	4,189	7.07
3	नागौर और डीडवानाउचामन-	15,615	25.57
4	प्रतापगढ़	890	1.50
5	राजसमंद	9,501	10.75
6	सीकर	77	0.12
7	उदयपुर	34,590	58.37
8	ब्यावर	41,396	112.92
9	बीकानेर	14,458	46.79
10	चुरू	6,379	21.24
11	हनुमानगढ़	2,057	3.24
12	जैसलमेर	12,801	42.83
13	जालौर	5,221	14.75
14	जोधपुर	20,993	66.94
15	पाली	1,223	3.73
16	श्रीगंगानगर	1,598	4.72
17	सिरोही	4,981	13.33
	कुल	1,90,959	459.18

क्रम सं.	जिला	दिनांक 22.07.2024 तक वास्तविक प्रगति (विद्युतीकृत घरों की संख्या)
1	बांसवाड़ा	9,068
2	इंगरपुर	4,189
3	प्रतापगढ़	705
4	राजसमंद	9,501
5	उदयपुर	15,268
6	सलूंबर	4,848
7	सीकर	41
8	नागौर	3,875
9	डीडवानाकुचामन-	3,376
10	ब्यावर	2,839
11	बीकानेर	1,823
12	चुरू	961
13	हनुमानगढ़	444
14	जैसलमेर	882
15	जालौर	725
16	जोधपुर	2,388
17	पाली	256
18	श्रीगंगानगर	364
19	सिरोही	756
	<b>कुल</b>	<b>62,309</b>

**बाइमेरजैसलमेर संसदीय क्षेत्र-**

क्रम सं.	संसदीय क्षेत्र	दिनांक 22.07.2024 तक वास्तविक प्रगति (विद्युतीकृत घरों की संख्या)
1	बाइमेरजैसलमेर-	3,721

**पीवीटीजी घरों के ब्यौरे**

क्रम सं.	जिला	दिनांक 22.07.2024 तक वास्तविक प्रगति (विद्युतीकृत घरों की संख्या)
1	बाराँ	6,930

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1829  
अगस्त 01, 2024 को उत्तरार्थ  
स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम

1829. :श्री नवसकनी के  
:अन्नादुरई .एन .श्री सी  
:सेल्वम .श्री जी

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को लागू (एसएलएनपी) करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अब तक एलईडी बल्बों से प्रतिस्थापित की गई कुल स्ट्रीट लाइटों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप अनुमानित कितनी ऊर्जा की बचत हुई है;

(ग) क्या एसएलएनपी के अंत (गंत सभी राज्यों में स्ट्रीट लाइटों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक बदला जाएगा;

(ङ) क्या मांगे हैं और यदि हां-क्या सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से निधियों के उपयोग प्रमाण, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त प्रयोजन के लिए निधि उपयोग के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यसंघ राज्य/ क्षेत्रवार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं-; और

क्या सरकार गांवों में स्ट्रीट लाइटिंग के (छ)लिए ग्राम पंचायतों को भी निधियां प्रदान करती है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यसंघ राज्य/ क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है-?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

: (क) देश भर में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट तथा ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ बदलने के लिए दिनांक जनवरी 5, का शुभारंभ किया गया। यह एक (एसएलएनपी) को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम 2015 स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसे ईईएसएल के माध्यम से, जो विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, स्ववित्तपोषित मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। आज तक इस कार्यक्रम - को कार्यान्वित करने के लिए तमिलनाडु की राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

: (ख) दिनांक जून 30, तक ईईएसएल 2024ल ने देश में 1,31,10, 745(अनुबंध)एलईडी स्ट्रीट लाइट संस्थापित ( की हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 8,की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई (एमयू) मिलियन यूनिट 806 है।

: (घ) और (ग) स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम देश में अभी भी प्रचालनरत है।

(ङ) से: (छ) विद्युत मंत्रालय ने एसएलएनपी कार्यक्रम के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया है क्योंकि कार्यक्रम ईईएसएल द्वारा स्ववित्तपोषित मोड में कार्यान्वित किया जाता है।-

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29,47,706
2	तेलंगाना	17,07,716
3	तमिलनाडु	7,876
4	पोर्ट ब्लेयर	14,995
5	महाराष्ट्र	11,14,328
6	केरल	4,33,979
7	कर्नाटक	13,226
8	गोवा	2,07,183
9	लक्षद्वीप	1,000
10	पश्चिम बंगाल	94,198
11	झारखंड	5,54,091
12	बिहार	5,75,922
13	राजस्थान	10,73,238
14	गुजरात	9,03,519
15	उत्तर प्रदेश	12,90,949
16	उत्तराखंड	1,33,511
17	छत्तीसगढ़	3,81,199
18	ओडिशा	3,53,808
19	मध्य प्रदेश	2,95,417
20	दिल्ली	3,87,896
21	जम्मू और कश्मीर	1,88,860
22	हिमाचल प्रदेश	63,332
23	पंजाब	1,27,267
24	चंडीगढ़	46,496
25	हरियाणा	85,139
26	सिक्किम	1,073
27	त्रिपुरा	76,426
28	असम	28,875
29	पुडुचेरी	1,520
	<b>कुल</b>	<b>1,31,10,745</b>

\*\*\*\*\*